अनुबन्ध - 9

विदेशी सहायता

इस अनुबंध में मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋणों, अनुदानों और वस्तुओं के रूप में मिली सहायता की मात्रा तथा उसके स्वरूप का विवरण संक्षिप्त रूप में दिया गया है। वर्ष 2015-2016 तथा 2016-2017 में, जो विदेशी सहायता मिली है, उसके मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया है:-

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2014-2015	बजट अनुमान 2015-2016	संशोधित अनुमान 2015-2016	बजट अनुमान 2016-2017
क. ऋण	33,533.89	34,373.35	34,580.00	44,789.00
ख. नकद अनुदान	1,441.84	1,773.77	2,506.36	2,175.21
ग. वस्तु अनुदान सहायता	158.04	...	430.39	686.82
घ. जोड़ (क+ख+ग)	**35,133.77**	**36,147.12**	**37,517.36**	**47,651.03**
ङ ऋणों की वापसी-अदायगी	20,600.86	23,200.00	23,095.35	25,694.58
च. विदेशी सहायता (वापसी अदायगी को घटाकर) (घ-ङ)	**14,532.91**	**12,947.12**	**14,422.01**	**21,956.45**
छ. ऋणों पर ब्याज अदायगी	3,765.64	3,998.12	3,873.85	4,058.50
ज. विदेशी सहायता (वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी को घटाकर) (च-छ)	**10,767.27**	**8,949.00**	**10,548.16**	**17,897.95**

वित्त मंत्रालय द्वारा द्विपक्षीय भागीदारों के साथ विकास सहयोग हेतु आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) के संबंध में 8 दिसम्बर, 2015 को जारी नए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान द्विपक्षीय भागीदारों के अलावा अन्य देशों से भी ओडीए स्वीकृत की जाए। यह भी निर्णय लिया गया है कि सामान्य मार्ग से सहायता प्राप्त करने के अतिरिक्त, विशेष ऋणों (अर्थात् ऐसे ऋण जिनके लिए वित्तीय सहायता करने वाले देश से निष्पादनकारी एजेंसी के प्रापण के लिए शर्तें रखी गई हैं) के रूप में द्विपक्षीय सहायता की पेशकश को स्वीकृत किया जाए)।

सरकार द्वारा द्विपक्षीय विकास सहायता भी प्राप्त की जा सकती है, यदि यह सहायता किसी बहुपक्षीय एजेंसी के जरिए अथवा सह-वित्तपोषण से दी जाती है तथा बहुपक्षीय एजेंसी द्वारा उसके अपने नियमों और प्रक्रियाओं के तहत प्रस्तावित कार्यक्रम/परियोजना क्रियान्वित किया जाना हो। इस प्रकार की व्यवस्थाएं भागीदार बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों के बीच उनकी नीतियों के भाग के रूप में बनाई जाएं। ऐसे सह-वित्तपोषित कार्यक्रम अथवा परियोजनाएं कार्यक्रम/परियोजना चलाने वाली बहुपक्षीय एजेंसी को प्रयोज्य प्रक्रियाओं द्वारा अभिशासित होंगी।

विभिन्न देशों और संगठनों द्वारा दी जा रही सहायता का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(क) द्विपक्षीय

I. फ्रांस

1. फ्रांस सरकार भारत को 1968 से विकास सहायता प्रदान कर रही है। फ्रांसीसी विकास सहायता फ्रेंच एजेन्सी फॉर डेवलपमेंट के माध्यम से प्रदान की जा रही है, और भारत में एजेंसी फॉर डवलपमेंट द्वारा वित्तपोषण हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र वैश्विक सार्वजनिक सामान के स्थायी प्रबंधन और जैव-विविधता का परिरक्षण हैं। एएफडी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं-"कोची मेट्रो परियोजना" और "जोधपुर हेतु शहरी जलापूर्ति योजना का पुनर्संगठन। 2015-16 के दौरान, भारत सरकार और एएफडी (फ्रांस) के बीच 200 मिलियन यूरो के "बेंगलोर मेट्रो रेल परियोजना-II" नामक एक नए करार पर हस्ताक्षर हुए हैं।

एएफडी ने संअ. 2015-16 में ₹ 663 करोड़ के मुकाबले वित्त वर्ष 2015-16 में ₹ 326 करोड़ संवितरित किए हैं।

II. जर्मनी

संघीय गणराज्य जर्मनी 1958 से भारत को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। वित्तीय कार्यक्रमों का केएफडब्ल्यू, जर्मनी सरकार के विकास बैंक के माध्यम से और तकनीकी सहायता कार्यक्रमों का जीआईजेड के जरिये कार्यान्वयन किया जाता है। द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के वर्तमान प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं-ऊर्जा, पर्यावरणीय नीति, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संपोषणीय प्रयोग, स्थायी आर्थिक विकास। केएफडब्ल्यू सहायता के माध्यम से चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं- 'तमिलनाडु में सम्पोषणीय नगरपालिका अवसंरचना वित्तपोषण' और 'शूगटोंग-कर्चम पनबिजली परियोजना-एचपी'।

2015-16 के दौरान भारत सरकार और केएफडब्ल्यू (जर्मनी) ने 247 मिलियन यूरो के तीन करारों नामशः हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इंट्रा ट्रांसमिशन, हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी जलवायु प्रूफिंग पर हस्ताक्षर किए हैं।

2015-16 के दौरान ऋण प्राप्ति संअ. 2015-16 के ₹971 करोड़ के मुकाबले ₹724 करोड़ और अनुदान के रूप में ₹21.58 करोड़ है। ब.अ. 2016-17 का अनुमान ₹1,268 करोड़ है।

III. जापान

जापान 1958 से भारत को द्विपक्षीय ऋण और अनुदान सहायता प्रदान करता आ रहा है। भारत को जापानी द्विपक्षीय ऋण सहायता, सहायता अनुदान और तकनीकी सहायता जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा प्राप्त होती है। जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है।

2. वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, जेआईसीए ने दो नई परियोजनाएं अर्थात् 'पुणे में मुला-मुथा नदी का प्रदूषण कम करने की परियोजना और ओडिशा ट्रांसमिशन सिस्टम इम्प्रूवमेंट परियोजना हस्ताक्षरित की है। ब.अ. 2016-17 में सरकारी ऋणों के लिए 2016-17 में संवितरण का अनुमान ₹12,250 करोड़ है।

IV. रूसी परिसंघ

वर्तमान वचनबद्धता के अन्तर्गत, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। यूनिट 1 और 2 का निर्माण नवम्बर, 1988 में हस्ताक्षर किए गए अंतर-सरकारी करार (आईजीए) के तहत किया गया है, जिसे जून, 1998 में संपूरक करार के जरिए संशोधित किया गया था जिसमें 4 % प्रति वर्ष की ब्याज दर पर, 2600 मिलियन अमरीकी डालर के सरकारी ऋण की व्यवस्था बढ़ाकर रूसी परिसंघ से आपूर्ति और सेवा पर आने वाली लागत 85% भाग तक कर दी गई है। 31-12-2014 से यूनिट-I का वाणिज्यिक प्रचालन शुरू हो गया है। कुडनकुलम में (यूनिट 3 और 4) अतिरिक्त नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए जुलाई, 2012 में तारीख 5 दिसम्बर, 2008 के प्रोटोकाल करार पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें रूसी परिसंघ ने 4 % प्रति वर्ष की ब्याज दर पर, 4200 मिलियन अमरीकी डालर का सरकारी ऋण प्रदान किया। रुसी परिसंघ ने ₹3.28 करोड़ संवितरित किए हैं। ब.अ. 2016-17 का अनुमान ₹2000 करोड़ है।

V. यूनाइटेड किंगडम (यूके)

यूनाइटेड किंगडम (यूके) 1958 से भारत को द्विपक्षीय विकास सहायता प्रदान करता आ रहा है। यह सहायता स्वास्थ्य, शिक्षा, स्लम विकास आदि के क्षेत्रों में मुख्यतः मिलेनियम विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्राप्त की जाती है। वर्ष 2015-16 के दौरान डीएफआईडी से कुल संवितरण ₹ 224 करोड़ बैठता है।

VI. संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए)

भारत को संयुक्त राज्य अमरीका की द्विपक्षीय सहायता 1951 में शुरू हुई। यह सहायता मुख्यतया अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएड) के मार्फत संचालित होती है। वर्ष 2015-16 के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका से सहायता का कुल संवितरण अनुदान के रूप में ₹ 5 करोड़ है।

ख. बहुपक्षीय

I. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.)

एडीबी 1966 में स्थापित एक मुख्य वित्तीय संस्था है और भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। हमारे संसाधनों को विस्तृत करने के लिए 1986 में एडीबी से उधार लेने का निर्णय लिया गया था।

एडीबी की परियोजनाएं शहरी, परिवहन, विद्युत, ग्रामीण विकास इत्यादि जैसे क्षेत्रों में फैली हैं। सरकारी खाते पर वर्तमान एडीबी ऋणों की संख्या 71 है। सरकारी खाते पर एडीबी सहायता के जरिए चल रही प्रमुख परियोजनाएं हैं- 'राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम; और बिहार राज्य राजमार्ग परियोजना। 2015-16 के दौरान एडीबी से संवितरण संअ. 2015-16 के ₹7,845 करोड़ के मुकाबले ₹5,899 करोड़ है। बअ 2016 का अनुमान ₹9,760 करोड़ है।

एडीबी भारतीय रिजर्व बैंक की रुपए प्रतिभूतियां रखता है, जिनका समय-समय पर भारत में इसके रुपए व्यय को पूरा करने के लिए इसके द्वारा नकदीकरण किया जा सकता है।

II. यूरोपीय संघ(ईयू)

यूरोपीय संघ भारत को अनुदानों के रूप में विकास सहायता प्रदान करता रहा है। यह वर्तमान में पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे प्राथमिकता प्राप्त सेक्टरों में अनुदान दे रहा है। भारत सरकार के मुख्य कार्यक्रम जिन्हें अन्य विकास भागीदारों के साथ यूरोपीय संघ से सहायता प्राप्त हुई है/हो रही है इनमें सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/बाल प्रजनन स्वास्थ्य (आरसीएच) शामिल हैं। 2015-16 के दौरान इसने ₹288 करोड़ संवितरित किए हैं।

III. वैश्विक निधि संगठन

वैश्विक निधि एड्स, तपेदिक और मलेरिया से मुकाबला करने के लिए है। वैश्विक निधि/जीएफएटीएम एक अन्तरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य एचआईवी तथा एड्स, तपेदिक और मलेरिया से बचाव व उपचार हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने के लिए समर्पित है। इस संगठन ने जनवरी 2002 में प्रचालन शुरू किया था। भारत में जीएफएटीएम से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है।

इस समय वैश्विक निधि की सहायता से निष्पादित की जा रही 9 परियोजनाएं हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान वैश्विक निधि के साथ 550.87 मिलियन अमरीकी डालर के तीन नए करार हस्ताक्षरित किए गए थे जो इस प्रकार हैं- 'इंक्रिजिंग एक्सेस एण्ड प्रोमोटिंग कम्प्रेहेंसीव केयर', 'सपोर्ट एंड ट्रिटमेंट, गहन मलेरिया नियंत्रण परियोजना-3" और 'तपेदिक"। 2015-16 के दौरान, जीएलएफ द्वारा अनुदान के रूप में ₹1,210.92 करोड़ संवितरित किए गए हैं।

IV. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेन्सी के रूप में 1977 में की गई थी। आईएफएडी ने कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित्त व्यवस्था के क्षेत्रों में सहायता दी है।

आईएफएडी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं-समेकित आजिविका सहायता परियोजना और झारखंड जनजातीय सुधार एवं आजीविका परियोजना। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आईएफएडी संअ. 2015-16 के ₹ 332 करोड़ के मुकाबले ऋण के रूप में ₹ 164.86 करोड़ संवितरित किए हैं। ब.अ. 2016-17 का अनुमान ₹ 431 करोड़ है।

V. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का समग्र मिशन स्थायी मानव विकास में क्षमता विकास के जरिए कार्यक्रम वाले देशों की सहायता करना है। वर्तमान देश कार्यक्रम (सीपी) में चार यूएनडीएएफ निष्कर्षों अर्थात् समावेशी विकास, अभिशासन, स्थायी विकास और महिला-पुरूष समानता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह देश कार्यक्रम आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों पर केंद्रित है। 2013-2017 हेतु भारतीय देश कार्यक्रम के लिए कुल संसाधन आबंटन 243.4 मिलियन अमरीकी डालर बैठता है।

VI. विश्व बैंक समूह

विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है। भारत विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए आईबीआरडी तथा आईडीए के माध्यम से विश्व बैंक से निधियां प्राप्त करता रहा है।

VI(क). अंतरराष्ट्रीय पुनर्निमाण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)

भारत 1949 से आईबीआरडी से सहायता प्राप्त कर रहा है। आईबीआर डी ऋण हालांकि गैर रियायती हैं, वाणिज्यिक संसाधनों हेतु अपेक्षाकृत अनुकूल शर्तों पर दिया जाता है। आईबीआरडी सॉवरेन ऋणों को मुख्यतया अवसंरचना परियोजनाओं और गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और मानव संसाधन विकास आदि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आईबीआरडी का लक्ष्य ऋणों, गारंटियों और गैर ऋण सेवाओं के जरिए सम्पोषणीय विकास को बढ़ावा देकर गरीबी कम करना है।

वर्तमान संवितरण ऋणों की संख्या 34 है। 951.50 मिलियन अमरीकी डालर की 4 नई परियोजनाएं 2015-16 में हस्ताक्षरित की गई थी, जो इस प्रकार हैं- 'पंजाब ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र सुधार परियोजना', 'तमिलनाडु संपोषणीय शहरी विकास परियोजना', तमिलनाडु सड़क क्षेत्र परियोजना-II' और 'राष्ट्रीय जलमार्गों की प्रस्तावित क्षमता वर्धन की तैयार'।

आईबीआरडी की सहायता के जरिए चल रही कुछ परियोजनाएं हैं-राष्ट्रीय राजमार्ग आंतर संपर्कता सुधार परियोजना, जल क्षेत्र सुधार परियोजना, पीएमजीएसवाई ग्रामीण सड़क परियोजना। 2015-16 के दौरान आईबीआरडी ने संअ. 2015-16 के ₹6,085 करोड़ के मुकाबले ₹3,189.50 करोड़ का ऋण और ₹48 करोड़ अनुदान के रूप में संवितरित किए हैं। ब.अ. 2016-17 में ₹7,954 करोड़ का अनुमान है।

आईबीआरडी मुख्यतः विद्युत क्षेत्र के सीपीएसयू और पीएसबी को भी सॉवरेन गारंटी ऋण प्रदान करता है।

VI(ख). अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

आईडीए विश्व बैंक की रियायती शाखा है और बैंक के गरीबी कम करने के मिशन को सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आईडीए अपने सदस्य देशों को रियायती ऋण देता है। आईडीए से लिए गए ऋण की वापसी अदायगी इस समय 25 वर्ष है जिसमें 5 वर्ष की छूट अवधि शामिल है। आईडीए की निधियां मुख्यतः सामाजिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में प्रयुक्त की जाती हैं जो एमडीजी प्राप्त करने में योगदान करती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना, द्वितीय तकनीकी/इंजीनियरिंग शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना, माध्यमिक शिक्षा परियोजना और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सहायता परियोजना जैसे भारत के फ्लैगशिप विकास कार्यक्रमों को आईडीए ऋणों जो अधिकांश एसडीआर में होता है किन्तु अमरीकी डालर में संवितरित और पुनः अदा किया जाता है, द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है।

वर्तमान संवितरण ऋणों की संख्या 58 है। 67.30 मिलियन एसडीआर और 883.4 मिलियन अमरीकी डालर के 5 नए करार भारत और आईडीए के बीच 2015-16 में हस्ताक्षरित किए गए थे जो इस प्रकार हैं-'राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना; आंध्र प्रदेश समावेशी विकास परियोजना; 'इंहैंसिंग टीचर इफेक्टीवनेस इन बिहार आपरेशन; 'राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना-' और 'आंध्र प्रदेश आपदा रिकवरी परियोजना'।

आईडीए सहायता के माध्यम से चल रही कुछ मुख्य परियोजनाएं इस प्रकार हैं-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना, तृतीय प्राथमिक शिक्षा परियोजना, उत्तराखंड आपदा रिकवरी परियोजना। आईडीए द्वारा 2015-16 में संअ. 2015-16 के ₹9,136 करोड़ के मुकाबले ₹5,802 करोड़ का संवितरण किया गया है। बअ 2016-17 का अनुमान ₹9,878 करोड़ है।